न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0न0:– 78/2024
निर्णय दिनांक:– 05.09.2024
बइजलास:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

उनवान

1. बिरदाराम पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी पिनाच तहसील फागी जिला दूदू राज:।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला दूदू राज०
2. नन्दाराम पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी पिनाच तहसील फागी जिला दूदू राज०।
3. रामचरण पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी पिनाच तहसील फागी जिला दूदू राज०
4. रामजीलाल पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी पिनाच तहसील फागी जिला दूदू राज०।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री शिवराज चौधरी वकील प्रार्थी
श्री मंगल चौधरी वकील अप्रार्थी सं. 3 व 4
अन्तर्गत धारा 131, 111 राज० भू० राजस्व अधिनियम

निर्णय **दिनांक 05.09.2024**

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 281 के खसरा नम्बर 517/2 रकबा 1.5427 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम पिनाच तहसील फागी जिला दूदू राज० में स्थित है जो प्रार्थी के नाम से हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो प्रार्थी की पैतृक सम्पति है जिस पर प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 भी उक्त भूमि के सहखातेदार है जो मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजीयात की तरमीम कब्जे अनुसार नही की जाकर राजस्व कारकुनानों द्वारा अभी हाल में नया सैटलमेंट करते हुये वर्तमान में गलत रूप से तरमीम कर दी गई तथा प्रार्थी की आराजीयात का रकबा कम करते हुये खसरा नम्बर 517/1 व 517/2 नये नम्बर बनाते हुये दो टुकडे कर दिये जिससे प्रार्थी की भूमि कम हो गई है एवं पडौसी खातेदार के खसरा नम्बर 296 का रकबा बढ़ा दिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी की गलत तरमीम करने से प्रार्थी की खातेदारी भूमि का रकबा कम हो गया है जिससे खसरा नम्बर 296 का खातेदार उक्त भूमि पर कब्जा करने पर आमदा है। राजस्व हाल नक्शा ट्रेस में जो तरमीम गलत रूप से अंकन की गई है उससे प्रार्थी के उपयोग व उपभोग से वंचित होना पड सकता है तथा उक्त जो गलत तरमीम की गई है वह काबिले दुरूस्त है। वर्तमान तरमीम करते वक्त राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा त्रुटि कारित करते हुये बिना मौके पर गये तथा बिना कब्जे व साबिक रिकार्ड के विपरीत जाकर तरमीम कर दी गई जबकि विधि अनुसार राजस्व कर्मचारियों को इस प्रकार से तरमीम करने का

लगातार....................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

कोई विधिक अधिकार नहीं था राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी प्राधिकार के आदेश के इस प्रकार की तरमीम नहीं की जा सकती एवं प्रार्थी मौके पर कब्जे अनुसार व सैटलमेंट नक्शे के अनुसार तरमीम करवाने का अधिकारी है प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.06.2024 को राजस्व रिकार्ड की सम्पूर्ण नकले प्राप्त करने पर राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार महोदय के समक्ष नक्शा ट्रेस में तरमीम दुरूस्ती बाबत निवेदन किया गया तो तहसीलदार महोदय द्वारा माननीय न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 तरमीम दुरूस्ती करवाने से इंकार कर दिया जिस कारण तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजिमी हुआ है। प्रार्थना पत्र दिनांक 20.06.2024 को तहसीलदार महोदय के द्वारा तरमीम दुरूस्ती से इंकार हो जाने तथा माननीय न्यायालय में चाराजोही की हिदायत दिये जाने के कारण उत्पन्न हुआ है जो अंदर मियांद प्रस्तुत है। विवादित आराजीयात एंव पक्षकारान का निवास स्थान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का श्रीमान न्यायालय को श्रवणाधिकार प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की तरफ से वकील श्री मंगल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा जबाब नही देना जाहिर किया। अप्रार्थी सं0 3 व 4 का जबाब बन्द किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जवाब में बताया कि खसरा नंबर 517/1, 517/2 का मूल खसरा नंबर 517 है। मूल खसरा 517 की आकृति का डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट व गत नक्शा भू– प्रबंध से जारी नकल से मिलान किये जाने पर उक्त ख0नं0 की मूल आकृति गत नक्शा अनुसार डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट में नही बनाई गई। इसलिए खसरा नंबर 517 की मूल आकृति गत नक्शा अनुसार बनाई जाना उचित है।

अप्रार्थी सं0 2 वाद तामिल भी हाजिर अदालत नही आये। अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2074 – 2077 वाके ग्राम पिनाच के खाता सं0 281 मे प्रार्थी व अप्रार्थी सं0. 2 लगायत 4 रिकार्डेड खातेदार है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे बताया है कि खसरा नंबर 517/1, 517/2 का पूर्व में मूल खसरा नंबर 517 था। जिसकी डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट में नवीन तरमीम करते समय मूल खसरा नंबर को दो भागों में विभाजित करते हुए नवीन तरमीम की गई जो भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व सर्वे शीट के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट में गत नक्शानुसार मूल खसरा नंबर 517 की मूल आकृति वर्तमान नक्शा में नहीं बनाई गई। इसलिए मूल खसरा नंबर 517 की मूल आकृति गत नक्शानुसार नवीन डी0आई0एल0आर0एम0पी0 शीट में किया जाना उचित है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–जयपुर

लगातार.................3

(3)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादग्रस्त आराजी ख0न0 517/2 रकबा 1.5427 है0 भूमि वाके ग्राम पिनाच तहसील फागी जिला दूदू मे स्थित आराजीयात की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार फागी रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

5/9/24
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू